

कार्यालय नगर पंचायत गोगरी जमालपुर

पत्रांक / दिनांक 03-01-15 /

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर।

सेवा में,

लेखा परीक्षा अधिकारी,
शहरी स्थानीय निकाय,
सोशल सेक्टर-1, बिहार पटना।

विषय:-

अंकेक्षण के अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग:-

भवदीय पत्रांक-14324/970 दिनांक-08-01-2013 एवं लेखा परीक्षा अधिकारी/
अधिभार स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना-1 कर पत्रांक-1582
दिनांक-10-12-08

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र संख्या-14324/970 दिनांक-08-01-2013 एवं पत्र
संख्या-1582 दिनांक-10-12-08 के माध्यम से कृपया नगर पंचायत गोगरी जमालपुर में किये
गये लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या-02/12-13 एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-439/2008-09 के
अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गयी है। जिसे विहित प्रपत्र में तैयार कर पत्र के साथ
संलग्न कर भेजा जाता है।

कृपया स्वीकार करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक:-

1. प्रतिवेदन संख्या-02/12-13 का
अनुपालन प्रतिवेदन
2. प्रतिवेदन संख्या-439/
2008-09 का अनुपालन प्रतिवेदन

विश्वासभाजन

ED

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर।

पत्रांक 10 / दिनांक 03-01-15 /

प्रतिलिपि:-

उप-सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग की सेवा में सादर सूचना
समर्पित।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत गोगरी जमालपुर।

Handwritten signature and date: 20/12/15

Handwritten notes: 30/10, 154, 23/1/15


Handwritten number: 134

महालेखाकार बिहार पटना के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या-02/2012-13 का कॉम्प्लेक्सवार अनुपालन प्रतिवेदन
 नगर पंचायत गोगरी जमालपुर
 अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन (अधि-2008-09 से 2010-11)

क्रमांक	पारा	विषय	अनुपालन	अव्यक्ति
1	1	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर 18. 07.2008 से 09.08.2008 तक की गयी।	अनुपालन की आवश्यकता नहीं	
2	2	प्रशासन	अनुपालन की आवश्यकता नहीं	
3	3	लेखा परीक्षा का कार्य क्षेत्र	अनुपालन की आवश्यकता नहीं	
4	4	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र भेज दिया जायेगा।	
5	5	कर्म उठाया गया	वित्तीय वर्ष 2014-15 का बजट तैयार करने के लिए अनुपालन किया गया है।	
6	6	नगरपालिका अधिनियम-2007 का प्रयास किया जायेगा	(क) वित्तीय स्थिति सुधार हेतु कर निर्धारण कर आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। से0-50(पंचायत) को का सुधार हेतु कर्मों में कर दिया गया है। (ख) सामान्य विवरण तैयार कर अनुपालन किया जायेगा। रैकॉर्डपालक कर्मों का संभारण कर अनुपालन किया जायेगा।	
7	7	नगर पंचायत द्वारा प्राप्त का लेखापरीक्षा में दिखाया गया।	आवंटन पंजी संभारित है।	
8	8	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर प्रथम में तैयार करने का प्रयास किया जायेगा।	अवरूद्ध राशि का व्यय नियमानुसार कर अनुपालन किया जायेगा।	
9	9	रोकड़ बंदी के अवलोकन	लेखा परीक्षा के दौरान अनुपालित	
10	10	रोकड़ बंदी के संग्रह	राशि नगर पंचायत निधि में जमा है।	
11	11	रसीद संख्या 601	मान एवं वसूली पंजी संभारित है।	
12	12	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर दिखाया गया।	वसूली की जा रही है नियमानुसार राशि को सरकार के खाते में जमा कर अनुपालन किया जायेगा।	
13	13	बिहार नगर पालिका अधिनियम कार्रवाई की जाये।	हीन डिफरेंट की बंदीबास्ती में स्थानीय लोगों को अधिलेख नहीं होने के कारण बंदीबास्ती नहीं की गयी है।	
14	14	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर जमा		

कार्यालयक महालेखाकार
 नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर
 (पटना)

102




15	15	नगर पंचायत मोगरी जमालपुर दल को दिखाया जाया।	पंजी का संभारण कर अनुपालन किया जायेगा वसुली हेतु नोटिस किया गया है।
16	16	कशीर अटोमेट योजना दल को अवगत कराया जाया।	सभी राशि का व्यय किया जा चुका है।
17	17	भारद्वी जिला के सतसक प्राधिकारी को धारण कर दिया जाया।	अनुसूचक के दौरान दशदि गये राशि में से मो-1763900.00(सतरह लाख तिरसठ हजार)रु0 डेस अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत समझौते के क्व में(वर्ष 2011-12) व्यय किया जा चुका है।
18	18	नगर पंचायत मोगरी जमालपुर भवन निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।	इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटवर्ग के पारित आदेश संख्या-2288/13 में दिनांक-12-02-2013 के आदेशों में जिला पराधिकारी, खगड़िया द्वारा Bihar Litigation Policy 2011 तहत गठित नविका संयुक्त समिति की संपन्न बैठक में उपस्थित आनुकूल सह मुख्य न्यायाधीश पराधिकारी, जिला परिषद, खगड़िया के पत्रांक-2715 दिनांक-11-08-2014 के द्वारा भवन निर्माण पर लगभग नये रोक को हिरल करते हुए भवन निर्माण की स्वीकृति दी गयी है। सरकार के संज्ञान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना के पत्रांक-50/दिनांक-13.11.2013 के आदेशों में इस कार्यवाही के पत्रांक-507, दिनांक-27-10-2014 एवं पत्रांक-540/दिनांक-24-11-14 द्वारा भवन निर्माण से संबंधित मार्गदर्शन की भंग की गयी है। कार्यवाही प्राप्त है। निम्नानुसार राशि का व्यय क्व दिया जायेगा।
19	19.	नगर पंचायत में निविदा के अर्धीन रखी जाती है।	विहार लोक निर्माण विभाग संरक्षा के नियम 163 के अनुसार 'निम्नलिखित निविदा की जायेगी यदि एक निविदा में अधिक निविदाकारों द्वारा अतिरिक्त निम्नलिखित दर रहे तो इसे निविदाकारों की उपस्थिति में (Draw of Lots) भाग्य-पत्र से निकाल कर निविदाकार का भवन किया जायेगा। एकल निविदा की शर्त में निकटतम उच्च प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। यदि यह सुनिश्चित हो जाए कि उचित प्रक्रिया और प्रचार का आशय सुनिश्चित रूप से रखा गया।' विहार लोक निर्माण विभाग संरक्षा के नियम 163 में एकल निविदा को परिभाषित नहीं किया गया है।(कि एक ही निविदा प्राप्त होने को एकल निविदा माना जायेगा या तकनीकी बीड में एक निविदावाता के सफल होने की स्थिति को एकल निविदा माना जायेगा।) निविदा आमंत्रण के उचित प्रचार-प्रसार हेतु राष्ट्रीय अखबार में निविदा प्रकाशित करायी जाती है।

कायदात्मक पदाधिकारी
नगर पंचायत, मोगरी जमालपुर
(खगड़िया)

132

19. (ii).		<p>बिहार लोक निर्माण विभाग संविधान के नियम 160 के अनुसार 'पूर्व विनिश्चित एवं विभाषित समय और स्थान पर सभी निविदाओं को आमंत्रित ठेकेदारों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी जो उपस्थित होना चाहे' सरकारी सेवा से प्रत्यक्ष या परोक्ष सम्बंध रखने वाले किसी व्यक्ति से (प्राप्त) कोई निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।</p> <p>बिहार लोक निर्माण विभाग संविधान के नियम 160 के अनुसार निविदाओं को सर्वदरकों या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोलने की प्रतिबन्धना नहीं है यह ठेकेदारों या उनके प्रतिनिधियों के अधिकार पर निर्भर करता है।</p> <p>निविदा सील बिफोके में स्वीकार किया जाता है। अतः अस्मत्क निविदादाताओं को उनके द्वारा समर्पित दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।</p> <p>अधिकार दिवसी के आलोक में सभी निविदादाताओं से प्रत्यक्ष-पत्र लिखा जा रहा है।</p>
19. (iii).		<p>बिहार लोक निर्माण विभाग संविधान के नियम 159 के उपनियम (v) के अंतर्गत में निविदादाताओं से अग्रतन दस्तावेज और बिचय कर चुकता प्रमाण-पत्र लिया जाता है। अधिकार दिवसी के आलोक में अस्मत्क की कमी की जा रही है।</p>
19. (iv).		<p>अनुपालन की आवश्यकता नहीं।</p>
20	<p>नगर पंचायत गोपती जमालपुर सरकार की अनुमति से नियुक्त की जाया।</p>	<p>समायोजन कर अनुपालन किया जायेगा।</p>
21	<p>नगर पंचायत गोपती जमालपुर दल को अवगत कराया जाया।</p>	<p>अनुपालन की आवश्यकता नहीं।</p>
23		<p>पंजी का संभारण किया गया है।</p>
24		



 कार्यपालक यदाधिकारी
 नगर पंचायत, गोपती जमालपुर
 (बनारस)

NOV 6/11/15

10/03-01-15

3) MATH-481T 31/10/15, 21/10/15, 15/10/15

1/20



महालेखाकार बिहार पटना के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या439/2008-09 का कॉडिफिकेशन अनुपालन प्रतिवेदन

अंकेक्षण अनुपालन प्रतिवेदन(अवधि-2002-03 से 2007-08)

नगर पंचायत गोगरी जमालपुर

क्रमांक	पारा	विषय	अनुपालन	अव्यक्ति
1	1	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर ... से 09-08-2008 तक की गयी	आवश्यकता नहीं	
2	2	प्रशासन	आवश्यकता नहीं	
3	3	लेखा परीक्षा में उपलब्ध ... में दी गयी है	आवश्यकता नहीं	
4	4	पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ... अधिल कर्म उठाया गया	अनुपालन प्रतिवेदन शीघ्र भेज दिया जायेगा।	
5	5	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर ... दिल्लीय स्थिति सुदृढ़ हो सकती है।	दिल्लीय स्थिति सुदृढ़ करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।	
6	6	उपलब्ध कराये गये रेकड ... अगले अंकेक्षण को दिखाने	सामाधान विवरणी तैयार कर अनुपालन किया जायेगा।	
7	7	बिहार नगरपालिका अधिनियम, 1972 ... पविष्य में इस विशा में ध्यान दिया जाय	विभागीय स्तर से स्तर के माध्यम से दैत प्रणाली लेखा संधारण की प्रक्रिया विकसित की जा रही है।	
8	10	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर के खाते में ... ताकि पंचायत निधि की स्थिति सुदृढ़ हो सके।	वसूली के प्रतिशत में वृद्धि हुई गयी है	
9	15	वर्ष 2002-03 से 2007.08 तक ... इसके उपयोगिता पर ध्यान रखा जाय।	सरकारी अनुदान पंजी का संधारण किया गया है।	
10	16	नगर पंचायत द्वारा सरकारी अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय	गृण पंजी का संधारण कर अनुपालन किया जायेगा।	

कार्यपालक प्रशासिका
नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर
(दिल्लीय)

11	19	एकादश वित्त आयोग प्रतिशब्द-VI में दिया गया है।	आंतरिक संसाधन निधि से।	
12	20	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर द्वारा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।	निदेशानुसार अनुपालन कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जायेगा।	
13	21	शहरी क्षेत्र में अवस्थित आपत्ति के अधीन रखा जाता है।	प्रस्ताव तैयार कर अनुपालन किया जायेगा।	
14	24	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर अवगत कराये।	इस कार्यालय में योजनाओं के कार्यान्वयन के समय डेट कटौती हेतु कोई भी सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण डेट की कटौती नहीं की गयी। अंकेक्षण बल के आधारे के पर्याप्त लम्बित योजनाओं से डेट की कटौती की जा रही है।	

करा वसंत कर्माधिकारी
नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर
(कानूनी विभाग)

